प्रेस नोट
दिनांक 12.08.2025

थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा लड़की का अपहरण करने वाले रु0 10,000/- के ईनामिया अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित कुमार पालीवाल के नेतृत्व में थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 265/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा से सम्बन्धित रु0-10,000/- के ईनामिया अभियुक्त अमित कुमार पुत्र केवलदास निवासी सैदपुर थाना गोपालपुर जिला भागलपुर राज्य बिहार को रेलवे स्टेशन मनकापुर से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.06.2025 को थाना को0 मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना को0 मनकापुर में लिखित तहरीर के द्वारा सूचना दी कि दिनांक 09.06.2025 को दोपहर में उसकी लड़की घर से अचानक गायब हो गई है। वादी की लिखित तहरीर पर थाना को0 मनकापुर में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा प्रकरण को संज्ञान में लेकर लड़की की सकुशल बरामदगी हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया। जिससे दिनांक 14.06.2025 को पुलिस टीमों द्वारा किए गए अथक मेहनत एवं प्रयासों के उपरांत अपहृत लड़की को रेलवे स्टेशन गोरखपुर से सकुशल बरामद किया गया था। प्रकरण में प्रकाश में आए आरोपी अभियुक्त अमित कुमार की शीघ्र गिरफ़्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा अभियुक्त पर रु0 10,000/- का ईनाम घोषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.08.2025 को थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अपहरण करने के आरोपी अभियुक्त अमित कुमार को रेलवे स्टेशन मनकापुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अमित कुमार पुत्र केवलदास निवासी सैदपुर थाना गोपालपुर जिला भागलपुर राज्य बिहार ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 265/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना कोतवाली मनकापुर जनपद गोण्डा ।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 प्रदीप सिंह सेंगर थाना को0 मनकापुर
02. हे0कां0 अखिलेश सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।